मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम, सोपस्टोन माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 08.01.2025 प्रातः 11.00 AM बजे, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम– कारछा, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.12.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत में दिनांक 09.12.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई **"मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम"** (Extesnion validity) द्वारा प्रस्तावित **सोपस्टोन** खनन परियोजना **(एम.एल.न. 10/1990** (लीज क्षेत्र 83.973 हैक्टेयर) प्रस्तावित सोपस्टोन उत्पादन क्षमता 4000 TPA निकट ग्राम–कारछा, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 1.25/– करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी. डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 10.12.2020 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः—

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

यहाँ कल मुनादी कराई होगी ना आपने, मुनादी कराई होगी आपने उसके फोटोग्राफस दिखाओ? और कोई विज्ञापन आया होगा ना वो दिखाओ? इसमें नहीं है और, इसमें नहीं है, अलग से हैं कितना रोजगार दोगे इसमें अभी कितना दे रखा है अपने गांव से?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :—

सर दस जनो का लोगों को रोजगार का है चार हजार टन प्रतिवर्ष।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

अभी कितने जने काम कर रहे है?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :—

अभी तो सर माईन्स बंद पड़ी है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

बंद पड़ी हुई है कब से?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :—

2016 से।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :—

तो अभी जब चालु करोगे दस जनो को ही रोजगार दोगे कुल मिला के।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

नही सर इसके एक्सपान्शन के लिए हमने एप्लाई कर रखा है लेकिन ये वेलिडेट होने के बाद ही उसका एक्सपान्शन हो जाएगा उसमें रोजगार है हमने उसमें दिया है 60–70 जनो का रोजगार का है उसमें।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

तो वो गॉव से लोगे?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

हॉ गॉव से ही लेंगे सर स्थानीय ग्रामवासीयों को।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ब्लास्टींग होऐगी?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

नही सर इसमें ब्लास्टींग नहीं होगी सोफ्ट मिनरल है सोफस्टोन का।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसमें क्या लिखा हुआ है ब्लास्टींग के लिए रिपोर्ट में?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

वेस्टेज हटाने के लिए होगी सर ब्लास्टींग जो वेस्टेज पड़ा है इसमें फिलाईट वगेहरा उसके लिए होगी वैसे इस मिनरल के लिए इसमें ब्लास्टींग की आवश्यकता नहीं है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

टोटल कितने एरिया में खनन कर दिया आपने 2016 तक।

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर जो इसमें अभी तक के सर जो प्रोडक्शन के जो आंकड़े है वो इतने ही है इस हिसाब से सर थोड़ा सा ही उसमें वो हुआ है मुश्किल से 1 हैक्टेयर के आस पास में एरिया इनका प्रोडक्शन में युज हुआ है शुरू से चार हजार टन की केपिसिटी थी उस हिसाब से ये प्रोडक्शन हुआ है अभी तक और 2016 से इनका प्रोडक्शन निल है।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कभी एक्सिड तो नहीं हुआ इसके अन्दर।

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

नही सर।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

पहले कोई CSR में काम किए थे आपने गांव के विकास के लिए।

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

सर इनके नाम पर यह लिज अभी ट्रांसफर हुई है सन 2021 में।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यहॉ आस पास कोई नदी वगेहरा कितनी दूर है यहां से?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

नदी है सर 50 मीटर पर नदी है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

उसके बारे में अगर कोई भी आपकी शिकायत हो कोई सुझाव हो कोई आप यहां काम करवाना चाहे तो बता सकते है। यहॉ जो आपके आस पास माईन्स चल रही है कारछा की पुनः रिस्टॉर्ट होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे है सरपंच साहब और कुछ बोलना चाहे।

श्री राकेश आहारी, सरपंचः–

ग्राम पंचायत कारछा के लाम्बाबांधवा और निचलापुरा में माईन्स चल रही है अभी निचला पुरा में बंद है किसी कारणवश लाम्बा बांधवा माईन्स जो चल रही है वहां पर एक बार सुपूर्व हादसा हुआ था अभी सुविधाएं ठीक चल रही है लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वहां पर रोड़ की थोड़ी समस्या हमने 2021 से प्रस्ताव बनाकर भेज दिया डिप्टी मजिस्ट्रेट से स्वीकृती के लिए टेंडर भी हो गया लेकिन अभी तक नहीं बना है तो आप सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जल्द हमारे ग्राम पंचायत कारछा के राजस्व गॉव लाम्बाबांधवा में रोड़ की सुविधा और जो बस्ती है उस बस्ती में मिट्टी उड़ती है इससे थोड़ा सा लोगों में आस पास वातावरण दूषित होता है तो आपसे विनती करूंगा कि आप जल्दी आदेश करावे ताकि वहां आस पास लोगों को रोड़ की सुविधा मिले और इस वायुमण्डल के द्वारा हवा के द्वारा लोगों की वातावरण दुषित नहीं होवे दूसरा तो हमारे माईन्स ऑनर से है उनका अच्छा है कि बच्चियों के विवाह में सिलाई मशीन देते है और समाज में आस पास में जो भी है सुख सुविधाओं को देते है इसलिए अभी सभी अधिकारियों से

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

निवेदन है कि आप सभी के सहयोग से मेरे ग्राम पंचायत कारछा के लाम्बा बांधवा में जल्द रोड़ की सुविधा हो जाए तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यह आपके जो निकलेंगे यहां से ट्रक वगेहरा जो उसमें कोई छिड़काव का प्रोविजन है पानी के?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

जी सर पानी के छिड़काव का प्रोवीजन है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और पौधा रोपण का क्या आपका प्रोपोसल है?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

पौधा रोपण का प्रोपोसल भी है सर जो इनके अनबर के लिए बहुत पड़ा हुआ है इनके मुश्किल से आधा से एक हैक्टर में ही अभी तक खनन कार्य हुआ है और आगे भी जो होगा वो भी सर डेढ़ से दो हैक्टर के अन्दर में ही है तो अनबर के लिए प्रोपर हो जाएंगे तो उसके आस पास में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप में से कोई बोलना चाहे है आ सकता है कोई भी गॉव में कोई सुविधा की करनी हो या कोई भी बात है या सरपंच साहब ने एक चिज कही डी.एम.एफ. ही की वो तो प्रोपर चरण से प्रपोसल भिजवाया होगा यहां से कोई पर्यावरण सम्बन्धित कोई भी चीज हो?

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

और वैसे एप्रोच रोड़ तो वो वैसे दुरूस्त करेंगे उसके बाद ही वो भी उनकी गाड़ी वगेहरा निकालने होंगे तो उसको बनाऐंगे करेंगे उसको तब जाके ही वो भी अपना साधन निकाल पाऐंगे तो आपके रोड़ का काम तो हो जाएगा यहां पे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और आप में से कोई और कुछ कहना चाहेंगे। आप आ जाए इधर आ जाए, प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट कुछ कहना चाहेंगे आप जो भी करेंगे सुविधाए वगेहरा आप बताए।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट :–

माईन्स चालु हो जाए तो हम ग्रामवासीओं की सेवा का पुरा ध्यान रखेंगे और गॉव को रोजगार पुरा देने की कोशिश करेंगे ताकि आर्थिक मंदी को दूर कर सके। गॉव के विकास के लिए हम कार्य कर सके और माईन्स को रिकोर्डिट कर सके।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई भी अगर CSR में काम कराना हो सरपंच साहब के माध्यम से तो उसका आप जरूर करवाए।

प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्टः–

जरूर साहब करेंगे CSR से प्रार्थना करेंगे कि गॉव के सुधार के लिए सहयोग साथ में मिलके हम लोग सब करेंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोई यहां के विद्यालय के विकास के लिए काम हो।

प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्टः–

जैसे सरपंच साहब कहेंगे वैसा सब करेंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते है। आप आजाए माइक लेले।

श्री वालचन्द डामोर – ग्रामवासी :–

हमारे कारछा कलाँ के निचलापुरा गाँव में एक शलशत स्कूल है वहां बच्चों और टीचरों को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आज तक उस रोड़ का कोई सोल्युशन नहीं हुआ।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है आपकी माईन्स एक बार शुरू हो जाए तो एक बार दिखवा ले अगर कोई अब छोटा मोटा यू करदे कि एक रस्ता टाईप बन जाए तो करवा देना उसको।

श्री दीपक सैनी, पर्यावरणीय सलाहकार :–

ठीक है सर रोड़ की रेपेरिंग वगेरहा का काम किया जाएगा पहले।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

और कोई कुछ कहना चाहे तो आ सकते है। मैं ए.डी.एम. साहब से निवेदन करूंगा दो शब्द कहे।

यह इन्होने कोई सामुदायिक भवन की बात करी है अगर आपको हो सकता हो भेज देंगे उसको थोड़ा आप ठीक करवाने का काम तो करवा ही देना आप, और कोई कुछ कहना चाहेंगे।

श्री रामलाल जी ग्रामवासी :–

सर जो है ना मेरा रिक्वेस्ट है कि गांव एरिया में जो ये प्रदुषण के लिए जो पानी जो रोड़ के ऊपर फैल रहा है इसके लिए कोई प्रोवीजन अगर हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ वो प्रोवीजन क्योंकि यहां से लेकर के पूरे गांव तक पूरे एरिया में करीबन पानी जो है ना लगातार जो है ना रोड़ के उधर चलता ही रहता है तो उसके लिए कुछ होता है इसमें कई एक्सीडेन्ट होते है कई गिरते है लोगबाग तो इसके लिए कुछ अगर हो सके तो कोई कार्यवाही करके थोड़ी बहुत जो भी हो सके और एक पणूंद एरिया में है कम से कम 500 मीटर एरीया जो है ना वो मैं बताया वो यह आपके नोलेज में है सरपंच साहब के भी नोलेज में है लेकिन 500 मीटर का एरीया ऐसा है सर भयानक की उसमें हमें बड़ी दिक्कत होती है जाने में बरसात में तो खड्डे इतने भारी हो जाते है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

वो तो हमने कह दिया कि सरपंच साहब के माध्यम से जो भी चीज आएगी ना उसको आप करवा देंगे CSR में अब देख लेना उसमें से क्या क्या चिज हो सकती है जो आपके उसमें केपेसिटी में हों। हाँ जब केपिसिटी में हो तब करवा देना।

जब आपके छोटा मोटा कोई टेम्प्ररी काम करवाना हो तो करवा देना उसमें, ठीक है आप सभी का धन्यवाद आप जन सुनवाई में पधारे जय हिंद।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (**परिशिष्ठ "स"** में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (**परिशिष्ठ "द"** में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(दीपेन्द्र राठौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन),
जिला–उदयपुर
(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रशासन उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक : 1

मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम, सोपस्टोन (एम.एल.न. 10/1990, क्षैत्रफल– 83.973 हैक्टेयर) प्रस्तावित सोपस्टोन उत्पादन क्षमता 4000 TPA निकट ग्राम– कारछा, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 08.01.2025 को प्रातः 11.00 AM बजे, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम–कारछा, तहसील–खेरवाड़ा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	Dipendra Singh	ADM I Udaipur	[signature]
2	शरद सक्सेना	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3	वाली देवी	सरपंच कारछा	[signature]
4	दीपक कुमार सैनी	P&M Solution, EIA Consultant	[signature]
5	C.P. Jeengar	RPCB, Udr.	[signature]
6	रवीमाल	कारछा कला	रवीमाल
7	हरिश्चन्द्र शर्मा	कारछाकला	हरिश
8	नवीन कुमार पटेल	उदयपुर	नवीन
9	सुन्दरलाल	कारछा	सुन्दरलाल
10	विशाखा खराड़ी	कारछा	[signature]
11	सोनल खराड़ी	कारछा प.राज	[signature]
12	नारायणसिंह	कारछा कला	नारायणसिंह
13	शिवनारायण	कारछा कला	शिव
14	रामचन्द्र	कारछा कला	
15	[illegible]	कारछा कला	मीना
16	जितेन्द्र	कारछा कला	जितेन्द्र
17	सुभाष	खेरवाड़ा	सुभाष
18	मुकेश	खेरवाड़ा	मुकेश
19	गीता	कारछा	गीता
20	[illegible]	खेरवाड़ा	[signature]
21	मानवेन्द्र [illegible]	[illegible]	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22	सूर्यप्रकाश मनोसहको	[illegible] कृषि निवास भीलवाड़ा	[illegible]
23	रमेशचन्द्र कुमावत	Retirement भीलवाड़ा	Retirement
24	किशनसिंह	करहेड़ा	किशनसिंह
25	राजू	करहेड़ा	राजू
26	गोपाल	करहेड़ा	गोपाल
27	रामा	खरनाड़ा	रामा
28	गोपी	करहेड़ा	गोपी

वैया अपनाकर उन्हें ऐसा नहीं करने
ी अपील करेगा, इसके बाद में ऐसे
त करने वालों के खिलाफ सख्ती
रेगा। आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि
ार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार से की जा
ुकी है सोमवार से नगर निगम द्वारा
ख्त कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। निगम
ारा घरेलू कचरा या व्यावसायिक कचरा
डक पर डालने वालों के खिलाफ
ास्ती काटने की कार्यवाही करेगा।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने
ताया कि प्रति सप्ताह शहर की सफाई
यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली
ाएगी जिसमें स्वास्थ्य शाखा के सभी
धिकारी एवं कर्मचारियों को भी
म्मिलित किया जाएगा। नगर निगम
ायुक्त राम प्रकाश ने बताया कि
लांकि उदयपुर की सफाई व्यवस्था
तरीय है लेकिन रात्रि में कुछ शहर
ासियों एवं व्यवसायिक रेस्टोरेंट
चालको द्वारा सडक पर जूठन फेंक
या जाता है। इस जूठन को शहर के
ावारा स्वानो द्वारा पूरी सडक पर फैला
या जाता है। इस कचरे को हटाने के

है। अगली बार से अनुज्ञा अवधी उन व्यापारियों की ही बढाई जाएगी जिसके पास में कचरा संग्रहण वाहनों में कचरा डालने की पर्ची मिलेगी। यदि किसी व्यापारी के पास नगर निगम डोर टू डोर संग्रहण करने वाले की कचरा पर्ची नहीं मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइसेंस की अवधि को नहीं बढाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सफाई को लेकर शहर वासियों के मध्य जाकर तीन दिवसीय जागरूकता अभियान शुक्रवार से प्रारंभ किया गया था जो रविवार तक चलेगा। अभियान की शुरुआत नगर निगम उपायुक्त दिनेश मंडोवरा द्वारा की गई। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र श्रीमाली सेक्टर ऑफिसर एवं सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सहेलियों की बाडी क्षेत्र में घूम कर वहां व्यवसाय करने वालों को अपने आसपास कचरा नहीं फैलाने के साथ-साथ डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में ही अपना कचरा निस्तारण करने की अपील की।

उदयपुर, (कासं)। साझेदार को धोखा देकर जमीन पर कब्जा करने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडित भगवतीलाल पुत्र गोवर्धनलालजैन के अधिकार गृहिता कन्हैयालाल जैन निवासी खोतान स्क्वायर काम्प्लैक्स गारियावास टेकरी मादड़ी लिंक रोड़ ने आरोपी पवन कुमार जैन, अशोक कुमार जैन निवासी सुभाष मार्ग के पास न्यू कॉलोनी डूंगरपुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि वर्ष 2012 में दोनों ने साझेदारी में एक भूखण्ड बडबडेश्वर महादेव के पास खरीदा था। 2020 में दोनों के बीच बंटवारा हुआ था। जिसमें 30 प्रतिशत हिस्सा आरोपियों का था। गत दिनों आरोपियों ने 50 प्रतिशत भूखण्ड पर अपना कब्जा कर लिया। इसका पता चलने पर मौके पर जाकर एतजरात किया तो आरोपियों ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

ऐं तीन जनवरी से

ारा सभी काम समय पर करने से ही
जीटीयू राज्य में परीक्षा आयोजन और
रिणाम घोषणा निर्धारित समय पर कर
रहा है।

परीक्षा नियंत्रक प्रो मनोज पंड्या ने
ताया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट
जुएशन के पहले और तीसरे सेमेस्टर
ी परीक्षाएं 3 जनवरी से तीन सत्रों में

शुरू हो रही हैं। उन्होंने बताया कि एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर सुबह 7 से 10 बजे तक, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए प्रथम सेमेस्टर की पूर्वाह्न 11 से दोपहर 2 बजे तक तथा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होंगी।

विप्र महिला महाकुंभ में अधिकाधिक भागीदारी का जताया संकल्प

ांसवाड़ा, (निसं)। विप्र फाउंडेशन की ओर से आगामी
2 दिसंबर को होने वाले विप्र महिला महाकुंभ एवं खेलकूद
सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रतापगढ जिले
धमोतर में प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी के मुख्य आतिथ्य,
ापगढ जिलाध्यक्ष गणपत लाल शर्मा की अध्यक्षता तथा
हिला प्रकोष्ठ बांसवाड़ा नगर अध्यक्ष अर्चना दवे, कार्यक्रम
ार्यक्रम संयोजिका दक्षा उपाध्याय के विशिष्ट आतिथ्य में
ठक हुई। प्रदेश महामंत्री जोशी व अतिथियों ने भगवान
शुराम के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरूआत
। अतिथियों का उपहरना ओढाकर अभिनंदन किया गया।
देश महामंत्री ने बताया कि संभाग के तीनों जिले से 5 हजार
अधिक महिला शक्ति एकत्र होकर एकता का परिचय देगी।
ार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न समितियों
गठन कर प्रस्ताव रखा। महिला खेलकूद आयोजन का
ह तीसरा वर्ष है और इस बार संभागीय आयोजन होने से
सका महत्व अधिक है। 31 जनवरी को सामूहिक यज्ञोपवीत
स्कार व युवक युवती परिचय सम्मेलन में प्रतापगढ जिले
अधिक से अधिक ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से विप्र जनों को
सवाड़ा आने का आमंत्रण दिया। स्वागत उद्बोधन जिला
हामंत्री जगदीश शर्मा वरमंडल ने दिया.

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

क्रमांक:- आरपीसीबी/आरओ यू/यूडीआर/2077 दिनांक: 05.12.24

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम, ग्राम-कारछा, तहसील-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर extension validity of Environmental Clearance of Karcha Soapstone Mine over an area of 83.973 Hect., M.L. no. 10/1990, Production capacity 4000 TPA (ROM), Near Village Karcha- Tehsil-Kherwara, District-Udaipur हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम, ग्राम-कारछा, तहसील-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना extension validity of Environmental Clearance of Karcha Soapstone Mine over an area of 83.973 Hect., M.L. no. 10/1990, Production capacity 4000 TPA (ROM), Near Village& Karcha, Tehsil-Kherwara, District-Udaipur का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील खेरवाडा, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्यौगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.01.2025 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम-कारछा, तहसील-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत बेदला,
पंचायत समिति बडगांव, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.प.बे./2024-25 /168 दिनांक-3.12.2024

-: ई निविदा सूचना-03/2024-25:-

ग्राम पंचायत बेदला, पंचायत समिति बडगांव में स्वच्छता एवं जल संरक्षण हेतु पुरानी जस कुंड बावडी पुलिया के पास जीर्णोद्वार व सौन्दर्यकरण कार्य हेतु उपापन की निविदाएं दिनांक 11.12.2024 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2425WSOB01788

निर्मला प्रजापत
सरपंच
ग्राम पंचायत बेदला

कविता नायक
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बेदला

पंचायत समिति फलासिया के पानरवा में महान सेवा संस्थान एवं चाइल्ड फंड के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 150 बच्चों व अभिभावकों ने भाग लिया। मेले में बच्चों ने रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग, निबंध लेखन व विभिन्न तरह के खेल जैसे नीबू- दौड़, कुर्सी रेस, सेक रेस, गुब्बारा फुलाना आदि प्रतियोगिता मे भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के महत्व, बाल अधिकार व जागरूकता का संदेश दिया गया। संस्थान के अध्यक्ष राजेन्द्र पर को चर्चा की व संस्थान के सचिव ललित प्रकाश जोशी ने बच्चों को बाल विवाह, बालश्रम, सुरक्षा को लेकर शपथ दिलवाई। साथ ही युवा समूह के अध्यक्ष रंजना खेर, अनिल कुमार वडेरा ने भी शिक्षा हेतु साथी बच्चों को प्रेरित किया।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम समन्वयक महेंद्र कुम्हार ने बच्चों के भावी जीवन की दिशा को उदबोधित किया। कार्यक्रम में सियाराम, डायमंड, शान्ति लाल, प्रमोद, रमेश कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति की बैठक

नवज्योति/खेरवाड़ा। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति खेरवाड़ा की खेल मैदान में सभा हुई, जिसमें सभी कुक ने पांच माह से वेतन नहीं मिलने, व दूध का मानदेय जारी होने के बावजूद कूक को भुगतान नहीं करने व सरकारी आदेश के बावजूद गैस के बजाय लकड़ी से खाना बनवाने पर रोष व्यक्त किया। बैठक में 9 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया गया तथा अपनी 13 सूत्रीय मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया। बैठक में समिति सदस्यों ने बताया कि दूध गर्म करने का 6 माह का मानदेय विद्यालय को आवंटित हो गया है, लेकिन कुक को भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं सामरून, फुटाला, कानपुर, रोजड़ी फला आदि कई पंचायत में आज भी लकड़ी पर खाना बनाया जाता है वहीं बायड़ी सामरुन, कंडाल, बावलवाड़ा, खेरवाड़ा के कुक को दूध का मानदेय आधा अधूरा मिला है। बैठक में शीघ्र भुगतान किए जाने की मांग की गई।

आचार्य पुन्य नंद का स्वागत

उदयपुर। मेवल क्षेत्र के सेमाल में रविवार को दोपहर तीन बजे ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने दिगंबर जैनाचार्य पुन्य नंद महाराज का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। उन्हें शोभायात्रा के रूप में जयकारे लगाते हुए जैन मंदिर पहुंचा कर महाआरती की। इस दौरान भूरीलाल जैन, दिनेश चितौड़ा, ख्यालीलाल, अर्जुनलाल जैन मौजूद थे।

भीम LiFE

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

क्रमांक:- आरपीसीबी/आरओ यू/यूडीआर/2077 दिनांक: 05.12.24

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम, ग्राम-कारछा, तहसील-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर extension validity of Environmental Clearance of Karcha Soapstone Mine over an area of 83.973 Hect., M.L. no. 10/1990, Production capacity 4000 TPA (ROM), Near Village Karcha- Tehsil-Kherwara, District-Udaipur हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स नवदुर्गा मिनकेम, ग्राम-कारछा, तहसील-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना extension validity of Environmental Clearance of Karcha Soapstone Mine over an area of 83.973 Hect., M.L. no. 10/1990, Production capacity 4000 TPA (ROM), Near Village& Karcha, Tehsil-Kherwara, District-Udaipur का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ. प्र)। 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील खेरवाडा, जिला-उदयपुर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.01.2025 (बुधवार) को प्रातः 11.00 बजे, अटल सेवा केन्द्र, ग्राम-कारछा, तहसील-खेरवाड़ा, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
DNU 338176

RAJASTHAN
REPLETE • RESPONSIBLE • READY
9-10-11 DEC 2024 • JAIPUR

माननी

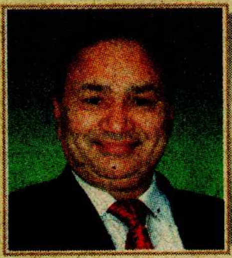

डॉ एम एल स्वर्णकार
संस्थापक एवं एमेरिटस चेयरपर्सन

स्थापना: 2 अक्टूबर, 2000 – 500 शैय्याए

मुख्य विशेषताएं... एक नज़र
24 वर्षों से उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं
2.5+ करोड़ रोगी लाभान्वित
550 डॉक्टर्स 1100 नर्सिंगकर्मी 1450 बैड्स
350 ICU बैड्स 33 ऑपरेशन थियेटर्स

2150+ किडनी ट्रांसप्लांट

CyberKnife S7
रोबोटिक
रेडियो सर्जरी

बच्चों तथा वयस्क
हृदय रोग उपचार, ह

Linear Accelerator
Truebeam®
PET

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जन स्वास्थ्य से जुड़ी
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना तथा
राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS)
का राज्य में निजी क्षेत्र सबसे बड़ा सेवा प्रदाता

Toll Free No. : 18001806002, Helpline :